

इसे वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जून 2016—ज्येष्ठ 23, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 9707-158-इकीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ जून, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यह; राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ है।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन्
२००७ का अस्थायी
रूप से संशोधित
किया जाना।

अनुसूची का
संशोधन.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा।

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक २० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२१.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय.	जीएचआर सन्स एज्यूकेशनल एंड मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन, ३४५, श्रद्धा हाउस, किंग्सवे, नागपुर.	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, मउजा, ग्राम धोधाबोरांव, ग्राम साईंवेडा, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२२.	डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर.	डेली कॉलेज सोसाइटी १, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	डी. सी. विश्वविद्यालय १, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२३.	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, इन्दौर.	सिम्बायोसिस फाउन्डेशन, नई दिल्ली.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, मध्यप्रदेश". बड़ा बाजारड़ा, तहसील हातोद, इन्दौर.	सम्पूर्ण

भोपाल :

तारीख ९ जून सन् २०१६.

राम नरेश यादव

राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 9707-158-इकीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
SANSHODHAN ADHYADESH, 2016.

[First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 13th June, 2016.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-seventh year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (l) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2016. Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

3. In the Schedule to the Principal Act, After serial Number 20 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

Madhya Pradesh
Act No. 17 of
2007 to be
temporarily
amended.

Amendment of
Schedule.

S. No.	Name of private university (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (3)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"21.	G. H. Raisoni University.	GHR Sons Educational and Medical Research Foundation, 345, Shradha House, Kingsway, Nagpur.	Company Registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).	G. H. Raisoni University, Mouza, Gram Dhodhaborgaon, Village Saikheda, Tehsil Saunsar, District Chhindwara.	Whole of Madhya Pradesh
22.	D. C. University, Indore.	Daly College Society, 1, Residency Area, Indore.	Registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	D. C. University, 1, Residency Area, Indore.	Whole of Madhya Pradesh
23.	Symbiosis University, of applied Sciences, Indore.	Symbiosis foundation, New Delhi.	Registered Society under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860).	Symbiosis University of Applied Sciences, Bada Bangadda, Tahsil-Hatod, Indore.	Whole of Madhya Pradesh".

Bhopal :**Dated 9th June 2016.**

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.